भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

18 DEC 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC-257466

1250

दिनांक 21.12.2018

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

" श्री रामजानकी चैरिटेबल ट्रस्ट"

ग्राम व पोस्ट–भोपालपुर, तहसील–लालगंज, जिला–आजमगढ़

हम कि सत्यवान शुक्ला पुत्र श्री मातबर शुक्ला, ग्राम व पोस्ट– भोपालपुर, तह0–लालगंज, जिला – आजमगढ़ आधार कार्ड 3497 9843 4978 मो0नं0 9384680068 का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यो के साथ–साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्राम सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्दर्श नागरिक गुणों की स्वास्थ्य एवं आदर्श गुणों की स्थापना हो। समाज के साधनहीन व्यक्तियों की जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, शिक्षा व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगारों का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाई–चारा, साम्प्रदायिकता ताल–मेल बनाये रखने व समाज को शिक्षित करने में लिंग–भेद,जाति–पाति, छुआ–छुत, ऊँच–नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। जनहित के उक्त कार्यो को संचालित करने तथा उससे लोगों के अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को

क्रमशः...2

सत्यवान शुक्ला

मुख्य ट्रस्टी

श्रीराम जानकी चैरिटेबुल ट्रस्ट

उमरीगनेशनपुर-भोपालपुर, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

18 DEC 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 257467

शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की गयी है। हम मुकिर अपने उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की बावत 5000/– (पाँच हजार रुपया) का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था करते रहेंगें। हम मुकिर ने अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रसाशन के बावत एक न्यास पत्र को भी निष्पादित किया है। जिसकी स्थाना निम्न रूपेण की जायेगी।

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम " **श्री रामजानकी चैरिटेबल ट्रस्ट**" पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से भी सम्बोधित किया जा सकता है।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त न्यास के कार्यालय निवासी– ग्राम व पो० – **भोपालपुर, तह० – लालगंज, जिला– आजमगढ़ होगा।** उक्त न्यास के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करन तथा इसके उद्देश्यों के सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की स्थापना की जायेगो और उनके कार्यालयों के पतों पर न्यास मजकुर द्वारा गठित की जाने वाले संस्थाओं और समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। पूर्व में हम मुकिर व हम मुकिर के पूर्वजों द्वारा जो संस्थाएं स्थापित कर उनका पंजीयन कराया गया है और जिनका विवरण इस न्यास पत्र में वर्णित न्यास के उद्देश्यों में दिया गया है भी हम मुकिर द्वारा स्थापित किये जाने वाले इस न्यास/टस्ट के अधीन जानी व समझी जायेगी।
3. यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा न्यास के प्रबन्धक भी कहे जायेंगे। हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यास के रूप में कार्य करने को सहमत हैं व न्यास की न्यासी नामित करते हैं। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा। भविष्य में हम मुकिर द्वारा न्यास की उददेश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित न्यासी तथा मुख्य न्यासी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा

क्रमशः...3

मुख्य ट्रस्टी
श्रीराम जानकी चैरिटेबुल ट्रस्ट
उमरीगनेशनपुर-भोपालपुर, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 257468

न्यासी/पदाधिकारी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित हैं–

1. सत्यवान शुक्ला पुत्र मातबर शुक्ला (मुख्य न्यासी/अध्यक्ष), ग्राम व पो0–भोपालपुर, जिला – आजमगढ़।
2. मातबर शुक्ला पुत्र स्व0 शत्रुधन शुक्ला (उपाध्यक्ष) ग्राम व पो0–भोपालपुर, जिला – आजमगढ़।
3. श्रीमती उर्मिता पत्नी मातबर शुक्ला (सदस्य), ग्राम व पो0–भोपालपुर, जिला – आजमगढ़।
4. सुमन पत्नी सत्यवान शुक्ला (सदस्य), ग्राम व पो0–भोपालपुर, जिला – आजमगढ़।
5. अभिनय कुमार उपाध्याय पुत्र स्व0 नन्हकू उपाध्याय (सदस्य) ग्राम व पो0–पतहना, जिला – जौनपुर।
6. रजत मिश्रा पुत्र प्रदीप मिश्रा (सदस्य), ग्राम व पो0– पसेवाँ, जिला – जौनपुर।

4. यह कि हम मुकिर द्वारा **"श्री रामजानकी चैरिटेबल ट्रस्ट"** के नाम से जिस न्यास की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।
   1. समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।
   2. शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना एवं आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
   3. नव–युवक, नव–युवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जू0हा0स्कूल, हा0 स्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक , स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालय एवं महाविद्यालयों ,विधि महाविद्यालयों शिक्षण–प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं प्राविधिक कालेजों, उच्च शिक्षा के संस्थानों, विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
4. वर्तमान समय में विज्ञान के जन जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना, विज्ञान एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण उनसे सम्बन्धित ज्ञान की जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलाजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
5. समाज के समुदायिक विकास को परस्पर भाई–चारा, सम्प्रदायिक ताल–मेल, राष्ट्रभक्ति,

सत्यवान शुक्ला

क्रमशः...4

मुख्य ट्रस्टी
श्रीराम जानकी चैरिटेबुल ट्रस्ट
उमरीगनेशनपुर-भोपालपुर, आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
18 DEC 2018
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EC 257469

राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों एवं महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

6. न्यास द्वारा स्थापित महाविद्यालयों के प्रचार एवं प्रशिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों परिनियमावलीय के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमादित करायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7. लिंग–भेद, जाति–पाति, छुआ–छूत, धर्म व सम्प्रदाय, ऊँच–नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण / जागरूकता / सर्वे / लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

8. शिक्षा प्रचार / प्रसार / उन्नयन तथा प्रदेश व देश के किसी भीक्षेत्र में सामान्य शिक्षा / गैर तकनीकी शिक्षा / विधि शिक्षा / शिक्षा–प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना।

9. स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड–केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री एवं पी0जी0 कालेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना।

10. शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे– मेडिकल, इंजीनियर, पालिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना एवं पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल काले एवं प्रबन्धन कालेज आदि खोलना।

11. संस्था के प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनके योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में स्थान पुरूषों द्वारा भरा जा सकता है।

12. अनु0जाति, अनु0जन0जाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

13. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे–सिलाई, कढ़ाई, बनुाई ,पेन्टिंग, स्क्रीन, इलेक्ट्रानिक वायर मैन,डीजल एवं मोटर मकेनिक,रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग , टाईपिंग, शार्ट हैण्ड , कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि जैसे–केन्द्रों की स्थापना / व्यवस्था

क्रमशः..5

मुख्य ट्रस्टी
श्रीराम जानकी चैरिटेबुल ट्रस्ट
उमरीगनेशनपुर-भोपालपुर, आजमग

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

18 DEC 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EC 257470

तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष,पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष,छात्रावास, भोजन, वस्त्र दवा, यातायात,खेल का मैदान जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

14. खाद्य प्रसंस्करण जैसे–जैम, जैली, मुरब्बा, आचार, कन्चप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।
15. युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के लिए अन्य उपयोग प्रशिक्षण जैसे–हैण्डी क्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबन्ध व्याख्यान तथा खेल–कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथ विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
16. युवाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग उद्देश्य है।
17. समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे–गुंगे, बहरे, अंधों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों युवाओं एवं अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग/गरीब बच्चों निराश्रित, अनाथ बच्चों एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाना। बिना लाभ हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना।
18. वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने–लिखने व उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा व स्वतंत्रता हो।
19. महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्ववास केन्द्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता देना।
20. सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बरात घर, धर्मशाला, सुलभ , शौचालय, चिकित्साघर, पुस्तकालय, खेल मैदान, योगा प्रशिक्षण केन्द्र, आँगनबाड़ी , बालबाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हाल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
21. सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण,औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसनल प्लान्ट) (सौन्दर्य उपयोगी पौधे) (फ्लोरी कल्चर) सुगन्ध हेतु अन्य पौधों या अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधों का रोण करना। सुरक्षा एवं संरक्षा की दृष्टि से विलुप्त पौधों की खेती करना।

क्रमशः..6

मुख्य ट्रस्टी
श्रीराम जानकी चैरिटेबुल ट्रस्ट
उमरीगनेशनपुर-भोपतपुर, आजमगढ़